# प्रयागराज विकास प्राधिकरण

# प्रयागराज

**सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता**

कृपया जागृति विहार अवास योजना, जो आराजी संख्याः 571, 572, 812 एवं 817 कसारी मसारी, कालिन्दीपुरम् कुल क्षेत्रफल 20,590.00 वर्गमीटर पर 168 भवन मध्यम आय वर्ग हेतु एवं 288 भवन निम्न मध्यम आय वर्ग हेतु फ्लैटों के निर्माण एवं विकास कार्य प्रस्तावित था। परियोजना की प्रगति एवं लाभार्थियों को चरणबद्ध आवंटन / कब्जा दिये जाने के दृष्टिगत परियोजना को तीन फेज में विभाजित किये जाने के साथ–साथ रेरा में जागृति विहार फेस–1 (168 भवन) एवं जागृति विहार फेस–2 (96 भवन) अलग–अलग पंजीकृत कराया गया है। रेरा में जागृति विहार फेस–1 (पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ12272) एवं जागृति विहार फेस–2 (पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ12276) है। वर्तमान में परियोजना पूर्ण हो चुकी है एवं रेरा के वेब पोर्टल पर कम्पलीशन सर्टिफिकेट अपलोड किया जाना है।

परियोजना के कन्सलटेन्ट मेसर्स राजीव कुमार एण्ड एसोसिएट्स द्वारा परियोजना से सम्बन्धित फेस–1 एवं फेस–2 की कम्पलीशन ड्राइंग व कम्पलीशन सर्टिफिकेट (उपविधि संख्या–13.4, परिशिष्ट–11) तैयार कर ई–मेल द्वारा प्रेषित किया गया है, जो पत्रावली में दायीं ओर अवलोकनार्थ व हस्ताक्षरार्थ संलग्न है। जिसका परीक्षण कर लिया गया है। परियोजना का विवरण निम्नवत है:–

| Jagriti Apartment | | | |
|---|---|---|---|
| **Phase** | **Phase I** | **Phase II** | **Phase III** |
| Type of Flat | M.I.G | M.M.I.G. | M.M.I.G. |
| Total Area for Phase | 4,700.00 Sqm | 4,861.00 Sqm | 11,029.00 Sqm |
| No. of Floors | (S+7) | (G+3) | (G+3) |
| No. of Unit | 168 | 96 | 192 |
| Built up Area | 67.80 Sqm | 54.30 Sqm | 54.30 Sqm |
| Present Costing | 33.40 Lakh | 29.52 Lakh | 29.52 Lakh |

उपरोक्तानुसार कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु उपरोक्त के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय से निम्नलिखित स्वीकृति वांछित है–

1. जागृति विहार परियोजना के निर्माण एवं विकास के दृष्टिगत क्रमशः तीन चरणों जागृति विहार फेज–01, जागृति विहार फेज–02 व जागृति विहार फेज–03 में विभाजन की स्वीकृति।
2. जागृति विहार फेज–01 के अन्तर्गत निर्मित 168 भवनों (S+7) एवं जागृति विहार फेज–02 के अन्तर्गत निर्मित 96 (G+3) भवनों के रेरा की वेब पोर्टल पर पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु मानचित्र की स्वीकृति।
3. उरोक्तानुसार रेरा के वेब पोर्टल पर जागृति विहार फेज–03 परियोजना के अन्तर्गत 192 (G+3) भवनों का पंजीकरण कराये जाने की स्वीकृति।
4. रेरा में जागृति विहार फेज–03 के पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क धनांक रू0 60,500.00 की स्वीकृति।

अतः उपरोक्तानुसार मानचित्र की स्वीकृति के साथ–साथ उपरोक्त के क्रम में स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित है।

02/01/2020 2/1/2020 2-1-2020 AE

2/1/2020

02/01/2020

S.D. Sharma
Executive Engineer

02/1/2020

प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज

2-1-2020

सचिव

# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

## (कार्यादेश)

-327-

प्रेषक,

अधिशाषी अभियंता,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

Received -
J. P. Singh
10/05/2016

सेवा में,

**मेसर्स जय प्रकाश इण्टरप्राइजेज**
ग्राम सन्दहा, पोस्ट मानीकला,
जनपद जौनपुर।

**पत्रांक : 149 /अधि0अभि0/वि0प्रा0/2016–17** **दिनांक : 07/05/2016**

**विषय : जागृति विहार आवास योजना कालिन्दीपुरम् में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निम्न मध्यम आय वर्ग के 80 फ्लैटों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य की निगोसिएशन उपरान्त निविदा धनांक **रु0 5,80,30,233.00** की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्वनिम्न होने के कारण **उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा दिनांक **03.05.2016** को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृत निविदा धनांक **रु0 5,80,30,233.00 में से रु0 40,00,000.00** का 10% जमानत धनराशि धनांक **रु0 4,00,000/– एवं रु0 5,40,30,233.00** का 5% जमानत धनराशि धनांक **रु0 27,01,600/– कुल धनांक रु0 31,01,600/–** N.S.C./F.D.R/ B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा करा दें। शासनादेश संख्या–102286– 355/स्टाम्प/73 एवं दिनांक 12.06.2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रु0 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/ B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अनुसार रु0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धो का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरोपित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
4. ठेकेदार को न्यूनतम् वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
5. शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि : 20.05.2016
कार्य समाप्त की तिथि : 19.05.2017

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 07/05/16
अधिशाषी अभियंता,
इ0वि0प्रा0

**प्रतिलिपि :–** (हस्ताक्षर) 07/05/16

1. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9, म्यो रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 07/05/16
अधिशाषी अभियंता

# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद
(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशाषी अभियंता,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स बाबा बिल्डर्स,
218डी, जयन्तीपुर, सुलेम सराय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 148 / अधि0अभि0 / वि0प्रा0 / 2016–17 दिनांक : 07 / 05 / 2016

विषय :- जागृति विहार आवास योजना कालिन्दीपुरम् में समाजवादी आवास योजना के अर्न्तगत निम्न मध्यम आय वर्ग के 208 फ्लैटों के निर्माण व विकास कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य की निविदा धनांक रु0 17,80,67,382.00 की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्वनिम्न होने के कारण **उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा दिनांक **30.04.2016** को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृत निविदा धनांक रु0 17,80,67,382.00 में से रु0 40,00,000.00 का 10% जमानत धनराशि धनांक रु0 4,00,000/– एवं रु0 17,40,67,382.00 का 5% जमानत धनराशि धनांक रु0 87,03,400/– कुल धनांक रु0 91,03,400/– N.S.C./F.D.R/B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा करा दें। शासनादेश संख्या–102286– 355 / स्टाम्प / 73 एवं दिनांक 12.06.2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रु0 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/ B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अनुसार रु0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धो का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरोपित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
4. ठेकेदार को न्यूनतम् वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
5. शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि : 20.05.2016
कार्य समाप्त की तिथि : 19.08.2017

भवदीय,
अधिशाषी अभियंता,
इ0वि0प्रा0

**प्रतिलिपि :–**

1. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9, म्यो रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ।
5. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशाषी अभियंता

For BABA BUILDERS

PARTNER